निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख 1938 (श0)

(सं0 पटना 346) पटना, शुक्रवार, 22 अप्रील 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेघ विभाग

अधिसूचना

3 फरवरी 2016

सं० 8/आ0 (राज0 नि0)–1–09/2013–641—श्री अरविन्द कुमार खॉ, अवर निबंधक, सम्प्रति बाढ़ (पटना) अपने सेवा काल में विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित रहे हैं जहॉ पर उनके द्वारा अनियमितता करने के कारण पूर्व में भी इनके विरूद्ध दो बार विभागीय कार्यावाही संचालित की गई है :–

(i) प्रथम मामले में श्री खाँ, तत्कालीन अवर निबधंक, शेरघाटी, जिला गया के पदस्थापन काल में उनके विरूद्ध अनियमितता, कदाचार, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, वैकल्पिक व्यवस्था के बिना अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थिति, विधि व्यवस्था संबंधी दायित्व की उपेक्षा, विभागीय निर्देशो का उल्लंघन, वरीय पदाधिकारियों के प्रति अमर्यादित व्यवहार, दायित्व के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–310 दिनांक 03.02.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य, श्री खाँ के स्पष्टीकरण व संचिका पर उपलब्ध अन्य तथ्यों के पूर्ण समीक्षोपरांत इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या 2338, दिनांक 11.08.2010 द्वारा संचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतनवृद्धियों पर रोक का दण्ड संसूचित किया गया।

(ii) दूसरे मामले में, श्री खाँ, तत्कालीन अवर निबंधक, तेघड़ा, बेगुसराय के पदस्थापन काल में की गई अनियमितता विरूद्ध सरकारी राशि के दुरूपयोग, अनुशासनहीनता एवं गलत बयानी आदि आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–1154 दिनांक 15.04.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचिका में उपलब्ध अन्य तथ्यों पर पूर्ण समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के अंतर्गत विभागीय आदेश संख्या–440 दिनांक 22.01.2013 द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किये गये :–

(क) इनका वेतन वेतनमान के मूल वेतन पर 5 वर्षो के लिए निर्धारित किया जाता है। इन 5 वर्षो में इन्हें कोई वेतनवृद्धि देय नही होगी।

(ख) पूर्व में विभागीय ज्ञापांक–2338 दिनांक 11.08.2010 द्वारा दिये गये दण्ड का प्रभाव इसके बाद होगा।

2. सम्प्रति अवर निबंधक, बाढ के पद पर पदस्थापन अवधि में दस्तावेज सं0 1769, दिनांक 27.03.2013 के निबंधन के संबंध में श्री मुकेश गुप्ता, ग्राम–काजीचक, पो0–बाढ, जिला–पटना द्वारा परिवाद पत्र दिया गया जिसकी जॉच सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) से कराई गई तथा जॉचोपरांत विभागीय पंत्राक–4381 दिनांक 28.06.

2013 द्वारा राजस्व क्षति के लिए दस्तावेज को भारतीय मुद्रांक अधिनियम –1899 की धारा–47A के तहत् सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल पटना को प्रेषित करने हेतु निदेश देने के बावजूद उसे प्रेषित नही कर अपने स्तर से पक्षकार को कमी मुद्रांक शुल्क जमा करने का नोटिस दिया गया जबकि उक्त कार्य उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नही आता है। क्षेत्राधिकार के बाहर होकर कार्रवाई करने के फलस्वरूप दस्तावेज में तथ्यों को छुपाने के लिए 10% दण्ड की राशि मो0 2867.50 (दो हजार आठ सौ सड़सठ रूपया पचास पैसे) की वसूली पक्षकार से नही हो सकी। फलतः सरकारी राजस्व की क्षति हुई इसके लिए विभागीय संकल्प संख्या–529 दिनांक 31.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. आरोपित पदाधिकारी के सेवा इतिहास को देखते हुए स्पष्ट होता है कि इन्हे पूर्व में दो बार विभागीय कार्यवाही संचालित कर वृहत दण्ड दिया जा चुका हैं। इससे आशा की जाती थी कि इनके व्यवहार में सुधार आयेगा तथा भविष्य में वे अपने कार्यकलाप में सावधानी बरतेंगे तथा उसमें सुधार भी लावेंगे। परन्तु इनके व्यवहार में कोई सुधार/परिवर्त्तन परलक्षित नही हुआ। अतएव आरोप की गंभीरता को कम नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उनके व्यवहार के कारण ही राजस्व की क्षति हुई है। यह कृत्य उनकी कार्यप्रणाली एवं गलत मंशा को इंगित करता है तथा साथ ही अनुशासनहीनता एवं कदाचार को भी दर्शाता है। यह कार्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 (3) के प्रतिकूल है।

4. संचालन पदाधिकारी सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय) ने दिनांक 05.05.2014 को विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करते हुए उनके द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज समाहर्त्ता को रेफर ही नहीं किया गया। उन्हें मूल्यांकन एवं दण्ड अधिरोपण की कार्रवाई का अवसर ही नहीं दिया गया और न अपील करने का अवसर दिया गया। उनके द्वारा की गई प्रक्रियात्मक भूल एवं विधि प्रक्रिया समझने में भ्रम को लम्बे सेवा अनुभव के कारण उक्त कृत्य को भूल की संज्ञा नही दी जा सकती। विभागीय कार्यवाही में उनके विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोप उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांचोपरांत पूर्णतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के मंतव्य पर विभागीय त्रिसदस्यीय समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया। समिति द्वारा निष्कर्षित किया गया कि मुद्रांक शुल्क भी वसूली किया जाना एक प्रक्रियात्मक भूल माना जा सकता है। जिसके लिये अवर निबंधक को भविष्य में विहित प्रक्रिया का पालन करने हेतु सचेत करते हुए चेतावनी दिया जाना अपेक्षित प्रतीत होता है। त्रिसदस्यीय समिति का यह निष्कर्ष आरोपित पदाधिकारी के लम्बे सेवा अनुभव को देखते हुए स्वीकार्य योग्य नही पाया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 18 (3) के प्रावधान के आलोक में श्री खाँ से विभागीय पत्रांक–2178 दिनांक 26.05.2014 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

6. श्री खाँ द्वारा पत्रांक–311 दिनांक 16.06.2014 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया हैं। जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि स्थल जाँच लिपिक की अज्ञानता/असावधानी से ऐसी भूल हुई है। स्थल जाँच लिपिक को देखना था कि भूमि की प्रकृति क्या है एवं उस पर कितने वर्गफीट में बनावट है। इनके द्वारा सभी तथ्यों को संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया जिसे संचालन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। कार्यालय प्रधान होने के नाते उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया गया है। बल्कि क्रेता, विक्रेता को दोषी मानकर सिर्फ दोष कातिब और स्थल जॉच लिपिक पर मढ़ना, सारे अपराधिकृत को छुपाने का किया गया प्रयास है। अतएव तथ्यो की गलत ब्याख्या करने के कारण उनका यह कथन स्वीकार योग्य नही पाया गया है।

7. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री खाँ से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि ऐसे सरकारी पदाधिकारी को सरकारी सेवा में बनाये रखना औचित्य पूर्ण नही है। अतः वृहद दण्ड के रूप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (IX) के तहत् अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड देने का निर्णय लिया गया है, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श/मंतव्य प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

8. विभागीय पत्रांक–4365 दिनांक 09.10.2014 द्वारा प्राप्त कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना का परामर्श/अभिमत प्राप्त किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आपने पत्रांक–2773 दिनांक 02.03.2015 एवं 1458 दिनांक 26.08.2015 द्वारा संसूचित किया गया है कि सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा परामर्श दिया गया कि उपर्युक्त आरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड अनुपातिक नही है। आयोग विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करता है। परंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी असहमति का कोई ठोस कारण/आधार का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि निबंधन, बाढ़ में उनके द्वारा कार्यालय में की गयी अनियमितता के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित दण्ड अनुपातिक नही है। श्री अरविन्द खाँ द्वारा शेरघाटी तथा तेघड़ा में पदस्थापन काल में की गयी अनियमितता के कारण दो वृहद दण्ड दिये गये तथा उनसे अपेक्षा की गयी कि वे अपने व्यवहार तथा कार्यकलाप में सावधानी बरतेंगे एवं अपने आचरण में भी अपेक्षित सुधार लायेगे। परंतु उनके व्यवहार में कोई सुधार/परिवर्त्तन नही हुआ और वे आगे अनियमितता करते रहे है। इनका यह कृत्य यह दर्शाता है कि वे नियमों के अनुरूप कार्य नही करने के लिए अभ्यस्त हो गये है तथा अनियमितता करना इनके व्यवहार का हिस्सा हो गया है। इससे स्पष्ट रूप से साबित होता है कि वे एक अनुशासनहीन एवं कदाचार में संलिप्त आदतन पदाधिकारी है। ऐसे पदाधिकारी सरकारी सेवा के योग्य नही माने जा सकते है। अतएव विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा

आयोग, पटना के परामर्श से असहमत होते हुए श्री अरविन्द कुमार खाँ, अवर निबंधक, बाढ़ को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

9. अतएव उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरांत श्री अरविन्द कुमार खाँ, अवर निबंधक, बाढ़ (पटना) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम–14(ix) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

10. श्री खॉ को अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 346-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in